तकनीकी आख्या

श्रीमती बीना गोयल पत्नी श्री एच एम् गोयल व् डा० रश्मि गोयल पत्नी डा० सचिन गुप्ता निवासी राया रोड सैयद के पास लक्ष्मी नगर ,लोहवन, तहसील महावन, जनपद मथुरा, आपके द्वारा ग्राम पंचायत शाहपुर गौसना के अंतर्गत खसरा संख्या 433 व् 434 में कुल क्षेत्रफल 0.570 हेक्टेयर में विद्यालय बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है

इसी के क्रम में दिनांक 17.07.2023 को उल्लेखित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा आवेदक के द्वारा जमा किया गया मानचित्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया उसी के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओ का अनुपालन के साथ विद्यालय बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा सकता हे।

(1) उक्त जमीन में ग्राम सभा की जमीन नहीं होनी चाहिए.

(2) विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011,2016 एवं 2018) के सभी नियमों का पालन किया गया है

(3) विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011,2016 एवं 2018) के नियम 2.4.1 शैक्षिक सुविधाएं के अंतर्गत प्राइमेरी स्कूल का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए। जो कि मानचित्र में नियम के अनुरूप है।

(4) उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011,2016 एवं 2018) के नियम 3.4.3 के अनुसार सेट बैक मानचित्र में नियमानुसार है।

(5) उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011,2016 एवं 2018) के नियम 3.5.1 के अनुसार भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात मानचित्र में नियमानुसार है।

(6) विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011,2016 एवं 2018) में दिए गए विभिन्न प्रारूप प्रपत्र के अनुसार स्कूल का निर्माण पूर्ण रूप से मानचित्र तथा उपविधि में दिए गए नियमानुसार करना सुनश्चित करे।

आर्किटेक्ट / कॉन्सेलटींग इंजीनियर
विकास खंड राया

Architect/Consulting Engg.
Block-Raya
Distt.-Mathura